

No. B.VIII.d.21(a)/ 1515
Himachal Pradesh Forest Department

Dated : Kullu the/ 03-07-2021

From:-

Chief Conservator of Forests
Kullu Forest Circle Kullu

To:-

✓ The Director,
Information & Public Relations,
Himachal Pradesh Shimla-171002

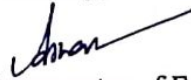
Subject:- Advertisement regarding Recruitment of Forest Guards in Kullu Forest Circle.

Sir,

Please find enclosed herewith advertisement regarding recruitment of Forest Guards in Kullu Forest Circle. You are, therefore, requested that the advertisement may please be got published in two leading News Papers one "Hindi" and one "English" latest by 05.07.2021.

Encl: As above.

Yours faithfully,


Chief Conservator of Forests
Kullu Forest Circle Kullu

Endst.No..VIII.d.21(a) Vol. XIV/

Dated Kullu, the/

Copy alongwith copy of advertisement is forwarded to:-

1. Pr. CCF (HoFF) Shimla with reference to her office Memo. Nos. Ft. 440-13/80 (E.II)2021 dated 05.05.2021 and 18.06.2021 for information and further necessary action.
2. DFO Publicity Shimla for getting advertisement broadcast through All India Radio, Shimla.
3. The Distt. Employment Exchange Kullu and Keylong for information and necessary action.
4. The Sub Regional Employment Officer, Directorate of Sainik Welfare, Ex-Serviceman Employment Cell, HP at Hamirpur and Director, Youth Service and Sport HP Shimla for information and necessary action.
5. The Commandant Himachal Home Guard, Kullu Distt. Kullu for information and necessary action.
6. The District Public Relation Officer, Kullu Distt. Kullu for making wide publicity

Encl: As above.


Chief Conservator of Forests
Kullu Forest Circle Kullu

विज्ञापन पत्र संख्या-1
वन विभाग हिमाचल प्रदेश
कुल्लू वन वृत्त, कुल्लू में अनुबन्ध आधारित वन रक्षक भर्ती

क्रमांक / **B.VIII.d.21 (a) Vol.XIV/21-22/**

दिनांक /

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कुल्लू वन वृत्त में **अनुबन्ध (On Contract basis)** के आधार पर वन रक्षकों के कुल 30 पदों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। यह भर्ती “वन रक्षक भर्ती एवं पदोन्नति” नियमावली के अनुसार की जायेगी। अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय / उप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। संविदा के आधार पर नियुक्त वन रक्षक को 5910+2000 + ग्रेड पे का 150 % बढ़ा हुआ मासिक वेतन दिया जायेगा। वन रक्षक के पद पर चयनित उम्मीदवार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष नवीकरण/अवधि विस्तार, वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण पाये जाने पर अरण्यपाल कुल्लू द्वारा किया जायेगा। यदि संविदा में एक वर्ष से आगे बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्कर्ती वर्ष/वर्षों के लिए समेकित संविदात्मक रकम में 3 प्रतिशत जो मु० 237/-रूपये है, की वार्षिक बढ़ौतरी अनुज्ञात की जायेगी। यदि आवेदक विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो तो निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन दिनांक 4 अगस्त 2021 तक विभागीय website www.hpforest.nic.in पर on line प्रेषित करें। जनजातिय क्षेत्रों के उम्मीदवार दिनांक 19-08-2021 online Form submit कर सकते हैं। जो पद भूतपूर्व सैनिक, खेल तथा हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक श्रेणी के हैं वह निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, निदेशक युवा सेवार्थ और खेल व समादेशक (Commandant) हिमाचल गृह रक्षक विभाग के माध्यम से लिए जाने हैं। महिला उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र (Eligible) हैं। भर्ती किए जाने वाले पदों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

श्रेणी/जाति	अनारक्षित	Children/ grand children of freedom fighters	भूतपूर्व सैनिक	खेल- कूद (Sport quota)	हि० गृह रक्षक (Home Guard)	अंत्योदय/ बी०पी०एल०	कुल
सामान्य	9	—	2	1	3	—	15
अनुसूचित जाति	3	—	1	—	1	1	6
अनुसूचित जन जाति	1	—	—	—	—	—	1
अन्य पिछड़ा वर्ग	4	—	1	—	—	—	5
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	3	—	—	—	—	—	3
कुल	20	—	4	1	4	1	30

नोट:

1. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)] खेल-कूद (Sport quota) एवं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक भर्ती हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रार्थियों के नाम मनोनीत करने हेतु अलग से लिखा जा रहा है।
2. उपरोक्त दिये पदों में अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग आदि और अन्य संवर्ग के आवेदकों की सीटों का वृत्त स्तर पर आबंटन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों /निर्देशों के अनुसार किया गया है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में यदि उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं आता है तो यह पद सामान्य अनारक्षित वर्ग से भरा जायेगा। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर सामान्य अनारक्षित वर्ग में चयनित होता है तो उसकी गणना सामान्य अनारक्षित वर्ग में ही जायेगी।
4. उपरोक्त दर्शाये पद संभावित (tentative) हैं तथा यह कम या ज्यादा हो सकते हैं।

I. पात्रता की शर्तें:-

- क) आवेदक / अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ख) आवेदक की आयु 1-1-2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् आवेदक का जन्म 1-1-1991 से पूर्व व 1-1-2003 के बाद मान्य नहीं होगा।

नोट: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

- ग) आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षाबोर्ड से जमा दो (Plus Two)या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। आवेदक वन रक्षक के पद के लिए तभी पात्र होगा यदि उसने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूल/ संस्थान से मैट्रिक तथा 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह शर्त हिमाचल के स्थाई निवासी के लिए लागू नहीं है।
- घ) आवेदक/अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता बारे जानकारी रखता हो।
- ड.) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता/प्रवीणता परीक्षा/टैस्ट (PET) जो उम्मीदवार न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करेंगे वही शारीरिक दक्षता/प्रवीणतापरीक्षा के पात्र होंगे । जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता /प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा (Written Test) के लिए आमन्त्रित किया जायेगा ।
- II) **मर्ती प्रक्रिया :-**

मर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन परीक्षण क्रमशः शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा तथा व्यक्तित्व मूल्यांकन होंगे जिनके अधिकतम अंक निम्न तालिका अनुसार है :-

परीक्षण	निर्धारित अंक
शारीरिक दक्षता परीक्षण	केवल उत्तीर्ण योग्य
लिखित	85
व्यक्तिगत मूल्यांकन	15
योग	100

न्यूनतम शारीरिक एवं दक्षता/प्रवीणता परीक्षा/टैस्ट (PET) हेतु माप दण्ड

न्यूनतम शारीरिक माप दण्ड					
पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		टिप्पणी
लम्बाई	165 सें0मी0		150 सें0 मी0		अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सें0 मी0 की छूट होगी ।
छाती का माप	विना फूलाये 79 सें0मी0	फूलाकर 84 सें0मी0	विना फूलाये 74 सें0 मी0	फूलाकर 79 सें0मी0	अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छाती के माप में 4 सें0 मी0 की छूट होगी ।

1) शारीरिक दक्षता/प्रवीणता परीक्षा/टैस्ट(Physical Efficiency Test):- वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक दक्षता मापदण्ड पूर्ण करते हो उनका निर्धारित शारीरिक परीक्षण निम्न तालिका अनुसार किया जायेगा ।

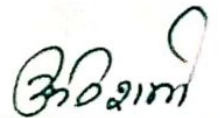
क्रमांक	शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रतियोगिता का नाम	न्यूनतम मापदण्ड/समयावधि पुरुष वर्ग	न्यूनतम मापदण्ड/समयावधि महिला वर्ग	अन्य विवरण
1	100 मी0 दौड	14 सैकंड	17 सैकंड	एक प्रयास में उत्तीर्ण करना । कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा ।
2	800 मी0 दौड	2 मिनट 45 सैकंड	4 मिनट 15 सैकंड	-यथोपरी-
3	ऊंची कूद	1.25 मी0	1 मी0	उत्तीर्ण करने के लिये केवल तीन अवसर दिये जायेंगे ।
4	लम्बी कूद	4 मी0	3 मी0	-यथोपरी-

2. वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होंगे केवल उन्ही को लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सूचित किया जायेगा ।
3. लिखित परीक्षा में 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा समयावधि 75 मिनट होगी । इसमें मैट्रिक स्तर की हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य विज्ञान तथा वनों के बारे में सामान्य जानकारी, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन्य जीव, सामान्य ज्ञान,तर्क-वर्तक और योग्यता क्षमता आदि प्रश्न समानिष्ट होंगे । उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतु प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बॉलपैन व लिखने के लिए (Paper board) गत्ता लाना अनिवार्य होगा ।
4. अभ्यर्थी का मूल्यांकन :- लिखित परीक्षा के परिणाम पर आधारित योग्यता सूची (Merit List) अनुसार उम्मीदवारों को व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु बुलाया जायेगा, जिस बारे उन्हें अलग से सूचित किया जायेगा । 15 अंकों का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफएफई-ए(बी)2-8/2017 दिनांक 26-08-2017 के परिशिष्ट -1 में दर्शाये गये मूल्यांकन के अनुसार किया जायेगा ।

III) आवेदकों के लिए निर्देश :

1. आवेदन विभागीय website www.hpforest.nic.in पर Online करना तथा प्रेषित करना होगा जिसकी अन्तिम तिथि गैर-जनजातीय क्षेत्रों (Non-Tribal areas) से सम्बन्धित अभ्याथियों के लिए 4 अगस्त 2021 तक होगी तथा जनजातीय क्षेत्रों (Tribal areas) से सम्बन्धित अभ्याथियों के लिए दिनांक 19-08-2021 तक online Form submit करवा सकते हैं।
2. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. यदि प्रार्थी का आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा।
4. प्रार्थना पत्र की जांच के उपरान्त उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों तथा वन वृत्त एवं वन मण्डल कार्यालयों के सूचना पट्टों (Notice Boards) के माध्यम से शारीरिक दक्षता परीक्षण (जो कि 21 सितम्बर, 2021 से शुरू होगा) बारे सूचित किया जायेगा। उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण के शुरू होने (यानि 21 सितम्बर 2021) से पहले वन वृत्त कार्यालय कुल्लू में किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
5. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी। चूकि शारीरिक परीक्षण खुले मैदान में होगा अतः यह प्रक्रिया मौसम पर भी निर्भर रहेगी।
6. आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपने साथ लायें
(i) मान्य प्राप्त बोर्ड से जमा दो पास प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पौत्र/पौत्री, अंत्योदय/बीपीओएल0 प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र तथा जातीय प्रमाणपत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्य PER (AP)-C-B(121/2019 दिनांक 11.06.2019 के अनुसार।
(iii) दसवीं पास प्रमाण पत्र।
(iv) हिमाचल के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
(v) जब अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाये जायेंगे उस समय वह 2 प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ साथ लायें।
(vi) आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार एक खाली लिफाफा पाँच रुपये के टिकट सहित जिसमें अपना सही पता लिखा हो प्रार्थना पत्र के साथ लगायें।
7. यदि कोई आवेदक शारीरिक जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा व व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए निर्धारित तिथि को, निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
8. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए/बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।
9. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यर्थी का सेवा में नियमितिकरण सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

इस बाबत विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग की वेबसाइट website www.hpforest.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं या वन वृत्त एवं वन मण्डल कार्यालयों के सूचना पट्टों (Notice Boards) से प्राप्त कर सकते हैं।



मुख्य अरण्यपाल कुल्लू,
वन वृत्त कुल्लू (हि0प्र0)
पिन नं0 -175101